न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 78/2025 (GCMS : 2025/100)

1. **प्रीतपाल सिंह** पुत्र श्री हरमिशन सिंह उम्र 45 वर्ष
2. **जगरूप सिंह** पुत्र श्री हरमिशन सिह उम्र 47 वर्ष
3. **हरमिशन सिंह** पुत्र श्री काबल सिंह उम्र 70 वर्ष

} जाति जटसिख निवासीगण चक 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर

बनाम

1. **श्री सुभाष चौधरी,** उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
2. **सुखविन्द्र सिंह** पुत्र श्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. **राजदीप कौर** पुत्री श्री सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 पीएस, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.05.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद सुखविन्द्र सिंह बनाम राज. सरकार आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाद के साथ धारा 251ए आर टीएक्ट के तहत तहसील रायसिंहनगर के वाके चक 13 पीएस के मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 117/277 के किला नं. 25, 16, 15, 6, 5 के 2–2 बिस्वा पूर्वी साईड भूमि एवं मुरब्बा नं. 23 पत्थर नं. 117/276 किला नं. 25, 16, 15, 6 व 5 के 2–2 बिस्वा पूर्वी साईड मे [illegible] मुरब्बा नं. 7 पत्थर नं. 117/274 के किला नं. 25 के पूर्वी [illegible] स्वीकृत करने बाबत पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:56:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना एवं गलत तथ्य पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए का उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि में से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता चालू स्थिति में नहीं है एवं ना ही रास्ता मिलान हो रहा है। अप्रार्थी के रकबा हेतु अन्य रकबा में से वैकल्पिक रास्ता चल रहा है, परन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी पक्ष द्वारा गलत मौका एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर राजनैतिक प्रभाव में आकर प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की एकतरफा विधिविरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंचे वाले व्यक्ति है जिनका स्थानीय क्षेत्र में काफी राजनैतिक दबाव व प्रभाव है। अप्रार्थी संख्या 1 भी इनके राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर अनावश्यक रूप से प्रकरण में रूचि ले रहे है। प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं विधिक प्रक्रिया का पालना किये बिना ही प्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही हैं, जिस कारण प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण ऐलानिंया कर रहे है कि उनकी उपखण्ड अधिकारी, रायसिंनगर से बातचीत हो गयी है, उक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का निर्णय हमारे हक में करेंगे। इसलिए प्रार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त अनवानी प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया था कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251ए एवं धारा 212 आरटीएक्ट का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया हुआ है, जो वर्तमान में जवाब हेतु विचाराधीन है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में जानबूझ कर देरी करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 07.05.2025 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलाय में 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 25/2024 मय स्थगन प्रार्थना पत्र अनवानी सुखविन्द्र सिंह राज्य सरकार आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी प्रीतपाल [illegible] [illegible] किली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि [illegible] राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं [illegible] यह आरोप केवल मात्र कयास के

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। **न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्धान्त को कि "केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" के ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।** निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर